

## कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/ 2187 दिनांक 09/3/12

### संशोधन

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 23( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/2113 दिनांक 01.03.2012 द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत, राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत 60 (साठ मात्र) छात्राओं को वर्ष 2011-12 के लिये स्कूटी स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत आदेश के संलग्न सूची के क्रम संख्या 27/504 पर अंकित नाम कु. सन्तरा गूर्जर/ रामजी लाल गूर्जर, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष को टंकण की त्रुटिवश राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर के स्थान पर आर.आर. राजकीय महाविद्यालय अलवर में अध्ययनरत दर्शाया गया है। अतः छात्रा का अध्ययनरत महाविद्यालय आर.आर.राजकीय महाविद्यालय, अलवर के स्थान पर राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर पढ़ा जावे।

निदेशक

कॉलेज शिक्षा विभाग राज.  
जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/2188-2202 दिनांक 09/3/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. लेखाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी/छात्रवृत्ति) निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
9. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर।
10. प्राचार्य, आर.आर. राजकीय महाविद्यालय, अलवर।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
12. नोडल अधिकारी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना निदेशालय, जयपुर।
13. स्टोर प्रभारी/ स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
14. श्री देवर्षी जी विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)  
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर